



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग, पटना

वेब सूचना

दिनांक : 07 अगस्त 2025

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त – भारतीय रिजर्व बैंक, पटना के दीघा स्थित कॉलोनी के भवन (G+3) में फ्लैट नं.- 193 से 224 और स्कूटर पार्किंग को तोड़ने, निपटान और उक्त कॉलोनी से प्राप्त बिल्डिंग मलबे के उपयोगी सामिग्रयों को ले जाने/ उसके प्रति एक मूल्य देने के कार्य

विषयांकित निविदा का प्रकाशन 25 जुलाई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) के माध्यम से किया गया था। इस संबंध में, विषयांकित निविदा के लिए एक 'बोली-पूर्व बैठक' का आयोजन निर्धारित समयानुसार 01 अगस्त 2025 को दोपहर 12:00 बजे सम्पदा विभाग, द्वितीय तल, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना में किया गया। इस संबंध में, बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार जारी किया जाता है।

बोली-पूर्व बैठक के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित स्टाफ-सदस्य और इच्छुक बोलीकर्ता उपस्थित रहे:

i) भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से उपस्थित प्रतिभागियों की सूची

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री संजीव कुमार	उप महाप्रबंधक
2.	श्री मनोज कुमार	सहायक महाप्रबंधक (तक.-सिविल)
3.	श्री पंकज कुमार साहू	प्रबंधक
4.	श्री मयंक राज	सहायक प्रबंधक

ii) इच्छुक कम्पनियों/ फर्मों के प्रतिनिधियों की सूची

क्र. सं.	प्रतिनिधि का नाम	कम्पनी / फर्म का नाम
1.	श्री संतोष कुमार सिन्हा	मैसर्स जे.एस. कंस्ट्रक्शंस
2.	श्री जय कुमार शर्मा	मैसर्स जय कुमार
3.	श्री कमलेश कुमार नीरज	मैसर्स इंफ्रा सॉल्यूशन
4.	श्री प्रदीप कुमार गुप्ता	मैसर्स प्रदीप कुमार गुप्ता

iii) बैठक में चर्चा किए गए प्रश्नों की सूची और बैंक द्वारा दिए गए उनके स्पष्टीकरण / टिप्पणियाँ

क्र.सं.	प्रश्न	स्पष्टीकरण / टिप्पणियाँ
1.	क्या विधंस का सारा काम पूरा होने के बाद काम से उत्पन्न मलबे को हटाया जा सकता है?	यह स्पष्ट किया गया कि विधंस का सारा कार्य पूरा होने के बाद मलबा हटाया जा सकता है। हालांकि, बैंक विधंस कार्य के सुचारू संचालन के लिए नियमित अंतराल पर हटाने की सलाह दे सकती है।

2. नींव के नीचे की कितनी संरचना को ध्वस्त करना होगा?	<p>यह स्पष्ट किया गया था कि निविदा के भाग ॥ के मद संख्या -1 को इस संबंध में संदर्भित किया जा सकता है।</p> <p>इसके अलावा, यह दोहराया गया कि उल्लिखित साइट के लिए पूर्ण विधंस कार्य नवीनतम तकनीक, मशीनरी, उपकरण आदि का उपयोग करके किया जाना चाहिए।</p>
--	--

परिशिष्ट

खजाना निधि: यदि कोई खजाना, जीवाशम, खनिज या किसी प्रश्न के हित की कलाकृतियों को कार्य करते समय पाया जाता है, तो ठेकेदार ऐसी किसी भी खोज की तल्काल सूचना बैंक को देगा और ऐसी खोज को बैंक को सौंप देगा।

कृपया नोट करें:

- क) बोली-पूर्व बैठक का यह कार्यवृत्त बोली दस्तावेज / करार का भाग होगा।
- ख) बोली दस्तावेज के अन्य नियम और शर्तें तथा विनिर्देश यथावत बने रहेंगे।
- ग) उपर्युक्त संशोधन / स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीकर्ताओं की जानकारी के लिए जारी किए जा रहे हैं।
- घ) फर्म द्वारा आवेदन की प्रस्तुति को बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/ स्पष्टीकरण के अनुरूप माना जाएगा।
- ङ) किसी स्पष्टीकरण के लिए कृपया सम्पदा विभाग, पटना से सम्पर्क करें।

**क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक, पटना**